बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

श्रीमती गजाला शहाना, तत्कालीन उप प्राचार्य –सह– प्रभारी प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गया को आदेश की अवहेलना, कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता के गंभीर आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–3665 दिनांक–29.12.17 द्वारा निलंबित कर उनका मुख्यालय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट, पटना निर्धारित किया गया। तत्पश्चात श्रीमती शहाना से विभागीय पत्रांक–145 दिनांक–17.01.18 द्वारा आरोप पत्र की प्रति एवं साक्ष्य उपलब्ध कराते हुए बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्रीमती शहाना के विरूद्ध गठित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित बचाव अभिकथन दिनांक–03.02.18 के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती गजाला शहाना को निलंबन से मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव, श्रीमती गजाला शहाना, तत्कालीन उप प्राचार्य –सह– प्रभारी प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गया सम्प्रति उप प्राचार्य मुख्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 में निहित प्रावधानों के आलोक में निलंबन से मुक्त किया जाता है।

2. श्रीमती गजाला शहाना के पदस्थापन के संबंध में अलग से कार्रवाई की जायेगी।

3. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(सतीश कुमार शाही)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक –6/श्रम वि० आ० (01)– 197/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– श्रीमती गजाला शहाना, उप प्राचार्य, मुख्यालय, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक –6/श्रम वि० आ० (01)– 197/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रति के साथ बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायें।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक –6/श्रम वि० आ० (01)– 197/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक –6/श्रम वि० आ० (01)– 197/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक –6/श्रम वि०आ० (01)–197/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक –6/श्रम वि०आ० (01)–197/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि–प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट, पटना को सूचनार्थ ।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक –6/श्रम वि० आ० (01)– 197/2017 श्र०सं०– 14 पटना, दिनांक–28/5/2018
प्रतिलिपि– निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/विशेष सचिव/ सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/अवर सचिव/प्रभारी गोपनीय चारित्री/लोक सूचना पदाधिकारी/आई0टी0/मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी (01 एवं 06), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28.5.18
सरकार के अवर सचिव